



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012026-269219
CG-DL-E-09012026-269219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2026/पौष 16, 1947

No. 75]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2026/PAUSHA 16, 1947

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

का.आ. 85(अ).— केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है:

I. धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य:

- i. कुलपति, विश्व भारती विश्वविद्यालय

II. धारा 4 के खंड (ड) के तहत सदस्य:

- i. प्रोफेसर मधुलिका काबरा, पूर्व प्रोफेसर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

III. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य:

- i. डॉ. योगेन्द्र मलिक, राजकीय महिला चिकित्सा महाविद्यालय, सोनीपत
ii. वरिष्ठ प्रोफेसर (डॉ.) वंदना राफ़ाएल, विभागाध्यक्ष (पैथोलॉजी), उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग
iii. प्रोफेसर प्रसांत दिहिगिया, विभागाध्यक्ष (मेडिसिन), असम मेडिकल कॉलेज

iv. डॉ. जे. एस. ठाकुर, प्रोफेसर, सामुदायिक चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विद्यालय, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

2. तदनुसार, संस्थान निकाय की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम/पद	टिप्पणियाँ
धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य :		
1.	कुलपति, विश्व भारती विश्वविद्यालय	
धारा 4 के खंड (ख) के तहत सदस्य :		
2.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	पदेन सदस्य
धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य :		
3.	संस्थान के निदेशक	पदेन सदस्य
धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य :		
4.	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि	08.08.2024 को जारी का. आ. 3217(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082024-256233 के तहत प्रकाशित
5.	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर – शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि	
धारा 4 के खंड (ङ) के तहत सदस्य :		
6.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति	08.08.2024 को जारी का. आ. 3217(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082024-256233 के तहत प्रकाशित
7.	मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति	
8.	डॉ. योगेंद्र कुमार गुप्ता संस्थान निकाय के अध्यक्ष	14.08.2025 को जारी का. आ. 3763(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082025-265503 के तहत प्रकाशित
9.	रिक्त	
10.	प्रोफेसर मधुलिका काबरा, पूर्व प्रोफेसर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	
धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य :		
11.	डॉ. योगेन्द्र मलिक, राजकीय महिला चिकित्सा महाविद्यालय, सोनीपत	
12.	वरिष्ठ प्रोफेसर (डॉ.) वंदना राफ़ाएल, विभागाध्यक्ष (पैथोलॉजी), उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग	
13.	प्रोफेसर प्रसांत दिहिंगिया, विभागाध्यक्ष (मेडिसिन), असम मेडिकल कॉलेज	
14.	डॉ. जे. एस. ठाकुर, प्रोफेसर, सामुदायिक चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विद्यालय, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	

धारा 4 के खंड (छ) के तहत सदस्य :		
15.	श्री अभिजीत गंगोपाध्याय, संसद सदस्य, लोक सभा	27.08.2024 को जारी का. आ. 3643(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082024-256711 के तहत प्रकाशित
16.	डॉ. शर्मिला सरकार, संसद सदस्य, लोक सभा	
17.	श्री सामिक भट्टाचार्य, संसद सदस्य, राज्य सभा	27.08.2024 को जारी का. आ. 3644(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082024-256712 के तहत प्रकाशित

3. सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. Z-28016/65/2017-PMSSY-IV(3101638)]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2026

S.O. 85(E).— In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following as members of the Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Kalyani** :

I. Member under clause (a) of Section 4:

- Vice-Chancellor, Visva Bharati University

II. Members under clause (e) of Section 4:

- Prof. Madhulika Kabra, Ex. Prof. AIIMS, Delhi

III. Members under clause (f) of Section 4:

- Dr. Yogendra Malik, Government Medical College for Women, Sonipat
- Sr. Prof. (Dr.) Vandana Raphael, HoD (Pathology), NEIGRIHMS, Shillong
- Prof. Prasanta Dihingia, HoD (Medicine), Assam Medical College
- Dr. J. S. Thakur, Professor of Community Medicine and School of Public Health, PGIMER, Chandigarh

2. Accordingly, the current composition of the Institute Body is as under :

S.No.	Name/Designation of the Member	Remarks
Member under clause (a) of Section 4:		
1.	Vice-Chancellor, Visva Bharati University	
Member under clause (b) of Section 4:		
2.	Director General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India	<i>Ex-officio</i>
Member under clause (c) of Section 4:		
3.	The Director of the Institute	<i>Ex-officio</i>
Member under clause (d) of Section 4:		
4.	Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare – Representative of Ministry of Finance	Nominated vide S.O. 3217(E) dated 08.08.2024, published under Gazette ID

5.	Director, Indian Institute of Technology, Kharagpur – Representative of Ministry of Education	No. CG-DL-E-09082024-256233
Member under clause (e) of Section 4:		
6.	Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee	Nominated vide S.O. 3217(E) dated 14.08.2024, published under Gazette ID No. CG-DL-E-09082024-256233
7.	Chief Secretary, Government of West Bengal or his/her nominee	
8.	Dr. Yogendra Kumar Gupta President of the Institute Body	Nominated vide S.O. 3763(E) dated 14.08.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-19082025-265503
9.	Vacant	
10.	Prof. Madhulika Kabra, Ex. Prof. AIIMS, Delhi	
Member under clause (f) of Section 4:		
11.	Dr. Yogendra Malik, Government Medical College for Women, Sonipat	
12.	Sr. Prof. (Dr.) Vandana Raphael, HoD (Pathology), NEIGRIHMS, Shillong	
13.	Prof. Prasanta Dihingia, HoD (Medicine), Assam Medical College	
14.	Dr. J. S. Thakur, Professor of Community Medicine and School of Public Health, PGIMER, Chandigarh	
Member under clause (g) of Section 4:		
15.	Shri Abhijit Gangopadhyay, Member of Parliament, Lok Sabha	Nominated vide S.O. 3643(E) dated 27.08.2024, published under Gazette ID No. CG-DL-E-28082024-256711
16.	Dr. Sharmila Sarkar, Member of Parliament, Lok Sabha	
17.	Shri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, Rajya Sabha	Nominated vide S.O. 3644(E) dated 27.08.2024, published under Gazette ID No. CG-DL-E-28082024-256712

3. The term of office of members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/65/2017-PMSSY-IV(3101638)]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.